<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

22.08.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने स्वर्गीय श्री रंजीत कुमार बोरा, तत्कालीन उप मुख्य विद्युत अभियंता (निर्माण), पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर), मालीगांव, गुवाहाटी एवं अन्य के मामले में **3.50 करोड़ रुपये** मूल्य की अचल एवं चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में बिहार के पटना में स्थित एक आवासीय फ्लैट, जो श्रीमती सोनल जैन के नाम पर है और जिसका मूल्य 3.28 करोड़ रुपये (लगभग) है, तथा उनके नाम पर केनरा बैंक में जमा 21.24 लाख रुपये (लगभग) की सावधि जमा शामिल है।

ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), एसी-I, नई दिल्ली द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (वर्ष 2018 में यथा संशोधित) की धाराओं 7 एवं 8 के तहत रंजीत कुमार बोरा एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। उक्त प्राथमिकी में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के ठेकों के प्रदान किए जाने और उनके निष्पादन में अनुचित लाभ पहुंचाने के एवज में निजी ठेकेदारों से अवैध रिश्वत की मांग करने और उसे स्वीकार करने का आरोप लगाया गया था। सीबीआई ने 14.12.2021 को रिश्वत की राशि के सुपुर्द किए जाने को बीच में ही रोक दिया, आरोपियों को गिरफ्तार किया और तत्पश्चात वर्ष 2022 में मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया।

ईडी की जांच में पता चला कि रंजीत कुमार बोरा ने रेलवे ठेकेदार फर्म मेसर्स सनशाइन के स्वामी श्री चिंतन जैन और श्री नयन चंद्र जैन से रिश्वत की मांग की और उसे स्वीकार किया तथा रिश्वत की राशि उनके पास रखी। उक्त अपराध से अर्जित आय का उपयोग मेसर्स सनशाइन के नाम पर हरियाणा के गुरुग्राम स्थित प्लेटिनम टावर्स में एक फ्लैट खरीदने के लिए किया गया। जांच में आगे पता चला कि उक्त फ्लैट को वर्ष 2024 में लगभग 3.5 करोड़ रुपये में बेच दिया गया तथा बिक्री से प्राप्त राशि को मेसर्स सनशाइन, श्री चिंतन जैन और उनकी पत्नी श्रीमती सोनल जैन के बैंक खातों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर अंतरित किया गया और अंततः उक्त पटना स्थित आवासीय फ्लैट के अधिग्रहण हेतु लिए गए गृह ऋणों के भुगतान तथा श्रीमती सोनल जैन के नाम पर केनरा बैंक में सावधि जमा सृजित करने के लिए उपयोग किया गया। इस प्रकार, कुर्क की गई संपत्तियां स्वर्गीय श्री रंजीत कुमार बोरा द्वारा अर्जित अपराध से अर्जित आय के पुनर्निवेश और एकीकरण को दर्शाती हैं।

जांच के दौरान 06.09.2024 को रंजीत कुमार बोराह का निधन हो गया। चूंकि पीएमएलए के तहत कुर्की की कार्यवाही स्वयं उस गलत तरीके से हासिल की गई संपत्ति के खिलाफ होती है, इसलिए संपत्तियों के मौजूदा धारक के पास कुर्की की कार्रवाई की गई है।

आगे की जांच जारी है।